न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -259/2018

अनवान

श्री छीतर सिंह पिता श्री कालू सिंह, जाति राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी दौलपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोलों का लुहारिया जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. संस्था प्रधान प्राथमिक विद्यालय दौलपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर साहब, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री एच.एन. शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।
अप्रार्थी संख्या 01 व 2 अर्जुन सिंह चुण्डावत व 03 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने हज न्यायालय में एक वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है वादी को आशा है कि वाद पत्र अवश्य डिक्री होगा वादी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 की खाता संख्या 11 खसरा संख्या 173/181 रकबा 0.22 हैक्टर लगानी 1.10 पै0 के खाते में मुझ प्रार्थी के दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजीयात के पड़ोस मे पूर्व में कालू सिंह का खेत, पश्चिम में खाली बिलानाम जमीन, उत्तर में आम सड़क उसके बाद स्कूल के लिए आरक्षित आराजी नम्बर 113 व दक्षिण में संतोष पिता गेहरी लाल की जमीन स्थित है। प्रार्थी के खाते की जमीन के उत्तर की ओर आम सड़क डम्मर की बनी हुई है जो केवड़ो के लुहारिया से दौलपुरा जाती है। इस जमीन के उत्तर की ओर आराजी नम्बर 113 है जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित है। मेरी जमीन के दक्षिण की ओर आराजी नम्बर 174/184 जो काफी दूरी पर है जो प्राथमिक विद्यालय के क्रीड़ा स्थल के लिए आरक्षित हैं प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहा है लेकिन आये दिन सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए मैने सीमाजानकारी हेतु प्रार्थना-पत्र तहसीलदार रावतभाटा में पेश किया तथा बाद में श्रीमान् के यहां पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 31/2018 है जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश दिये गये थे लेकिन पटवार हल्का ने अभी तक पत्थरगढ़ी अथवा सीमाज्ञान नहीं करवाया है। विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत अभी स्कूल की भूमि के चारो ओर पक्की दीवार बना रही है ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव अनाधिकृत रूप से मेरे खाते की जमीन को स्कूल की जमीन में मिलाना चाहते है इसीलिए मेरी जमीन पर भी दीवार बनाने पर अमादा है मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच व प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान को इस संबंध में निवेदन किया है कि मेरे खाते की जमीन पर दीवार मत [illegible] लेकिन वह नहीं मान रहे है इसीलिए उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया जा रहा है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खाते की जमीन ग्राम दौलपुरा की आराजी नम्बर 173/181 रकबा 0.22 हैक्टर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

किसी भी प्रकारर की दीवार का निर्माण कार्य न स्वयं करे और न ही अन्य से करावे तथा प्रार्थी के खाते की आराजीयात पर किसी प्रकार का कब्जा करने का प्रयास न स्वयं करे न ही अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 01, 02 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 का जवाब है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह बेबुनियाद एवं झुठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो निश्चित ही खारीज होगा। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी ने ग्राम दौलपुरा की खाता संख्या 11 खसरा संख्या 173/181 रकबा 0.22है0 को अपने खाते दर्ज रिकॉर्ड व काबिज होकर काश्त करना बताया है जबकि उक्त आराजी संख्या पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त जगह लगभग 20 वर्ष पूर्व स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित हुई थी तथा वर्तमान में स्कूल का खेल मैदान बना हुआ है। मौके पर किसी प्रकार के कृषि कार्य करने के निशानात नही है। जो पडौस प्रार्थी द्वारा बताये गये है उन पडौसो के मध्य प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी के मन मे बदियांति आ जाने के कारण प्रार्थी ने अभी हाल ही में रावतभाटा तहसील का जो अभी नवीन सेटलमेंट हुआ उस मे राजस्व कर्मचारियें से मिलिभगत कर अपने खाते की आराजी संख्या 173/181 सेटलमेंट से पूर्व के नम्बर 111 से बने है तथा 111 का आराजी संख्या 175 भी बना है तथा प्रार्थी का आराजी संख्या 175 बिलानाम सरकार कृषि योग्य भूमि पर रकबा 10 बीघा भूमि पर कब्जा है तथा प्रार्थी ने उक्त भूमि पर ट्यूबवेल भी खुदवा रखी है तथा चारों तरफ कच्चे पत्थरों की बाउंड्रीवाल बना रखी है। प्रार्थी द्वारा नवीन सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर जिस जगह प्रार्थी काबिज हे उस जगह को बिलानाम करवा दिया तथा जिस जगह स्कूल का खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित हुई थी उक्त जगह उसने अपना खाता सेट करवा दिया था क्यों कि स्कूल के खेल मैदान की भूमि मैन रोड पर स्थित है तथा बेश किमती है। स्कूल की आंवटित भूमि के खाते को अन्यत्र दर्शा दिया गया है। जो आराजी संख्या 174/184 है जो पुराने आराजी संख्या 111 से बना है। प्रार्थी का कभी भी वादग्रस्त जमीन पर कब्जा नही रहा है। वादग्रस्त जमीन पर प्राथमिक विद्यालय दौलपुरा का कब्जा है तथा गांव के बच्चों के लिए खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है तथा उक्त खेल मैदान में पूर्वे में कच्ची दिवार बनी हुई थी तथा वर्तमान में पक्की दिवार में निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त भूमि ग्राम मौजा दौलपुरा की जमाबंदी सम्वत 2057-60 की खाता संख्या 01 खसरा संख्या 111 मी0 रकबा 62.81है0 में इंतकाल संख्या 122 दिनांक 29.01.2002 से आराजी संख्या 111मी0 मे से आराजी संख्या 111 रकबा 0.81है0 प्राथमिक विद्यालय के लिए खेल मैदान हेतु आंवटित की गई है तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 73 में भी दिनांक 04.12.170 को भी खेल मैदान की भूमि आरक्षित हुई थी तथा इसी प्रकार ग्राम मौजा दौलपुरा की खाता संख्या 06 खसरा संख्या 111/2 रकबा 0.83है0 पडत 2 कालू सिंह पिता बख्तावर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इंतकाल सख्या 116 दिनांक 28.10.2001 से आराजी संख्या 111/2 मे से आराजी संख्या 111/2/2 रकबा 0.22है0 प्रार्थी छीतर सिंह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा प्रार्थी छितर सिंह व कालू सिंह के कब्जे में बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 111 मे रकबा 10 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है। जिसका वर्तमान आराजी संख्या 175 है तथा आराजी संख्या 175 में प्रार्थी छितर सिंह व पिता कालू सिंह का कब्जा है उस जगह पर प्रार्थी द्वारा ट्यूबवेल खुदवाकर व कच्चे पत्थरों की बाउंड्रीवाल [illegible] कर रखा है। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा स्कूल की बैश किमती भूमि पर कब्जा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। प्रार्थी स्कूल की बेशकि[illegible] रोड के किनारे स्थित है। उस भूमि पर कब्जा करने की नियत से उसने सेटलमेंट [illegible] से गलत तरीके से भूमि दर्शायी गई है उसे दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थीगण क्षरा इन्द्राज दुरस्ती का कांउटर क्लेम पेश किया जायेगा तथा मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा स्कूल के खेल मैदान की पक्की बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाया गया जिसमें लाखो रू खर्च किये गये है तथा कब्जा अप्रार्थीगण का है। इसलिए सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का कभी भी वादग्रस्त जमीन पर कब्जा नही रहा है। वादग्रस्त जमीन पर प्राथमिक विद्यालय दौलपुरा का कब्जा है तथा गांव के बच्चों के लिए खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है तथा उक्त खेल मैदान में पूर्व में कच्ची दिवार बनी हुई थी तथा वर्तमान में पक्की दिवार में निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त भूमि ग्राम मौजा दौलपुरा की जमाबंदी सम्वत 2057-60 की खाता संख्या 01 खसरा संख्या 111 मी0 रकबा 62.81है0 में इंतकाल संख्या 122 दिनांक 29.01.2002 से आराजी संख्या 111मी0 मे से आराजी संख्या 111 रकबा 0.81है0 प्राथमिक विद्यालय के लिए खेल मैदान हेतु आंवटित की गई हे तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 73 में भी दिनांक 04.12.170 को भी खेल मैदान की भूमि आरक्षित हुई थी तथा इसी प्रकार ग्राम मौजा दौलपुरा की खाता संख्या 06 खसरा संख्या 111/2 रकबा 0.83है0 पडत 2 कालू सिंह पिता बख्तावर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इंतकाल सख्या 116 दिनांक 28.10.2001 से आराजी संख्या 111/2 मे से आराजी संख्या 111/2/2 रकबा 0.22है0 प्रार्थी छीतर सिंह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा प्रार्थी छितर सिंह व कालू सिंह के कब्जे में बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 111 मे रकबा 10 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है। जिसका वर्तमान आराजी संख्या 175 है तथा आराजी संख्या 175 में प्रार्थी छितर सिंह व पिता कालू सिंह का कब्जा है उस जगह पर प्रार्थी द्वारा ट्यूबवेल खुदवाकर व कच्चे पत्थरों की बाउंड्रीवाल बनवाकर कब्जा कर रखा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का काउंटर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर छितर सिंह व उसके पिता कालू सिंह को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी संख्या 173 व आराजी संख्या 173/181 व आराजी संख्या 175 रकबा 0.38है0 कुल रकबा 0.81है0 पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 का बाबत मौके की कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 पर आदेश पारित कर तहसीलदार रावतभाटा को कमिश्नर नियुक्त कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम दौलपुरा प0ह0 टोलो का लुहारिया के आराजी संख्या 173 रकबा 0.21है0 एवं आराजी संख्या 173/181 रकबा 0.22है0 भूमि छितर सिंह पिता कालू सिंह एवं कालूसिंह पिता बख्तावरसिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौका स्थिति अनुसार आराजी संख्या 173 रकबा 0.22है0 भूमि पर सामुदायिक भवन(सराय) के आगे वाली भूमि स्थित है जो वर्तमान में पडत पडी होकर सामुदायिक भवन के लिए उपयोग में ली जा रही है। मौका स्थिति अनुसार आराजी संख्या 173/181 रकबा 0.22है0 भूमि पर स्कूल का फिल्ड बना हुआ है जो खेल मैदान के उपयोग में ली जाती है। मौके पर चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि उक्त आराजीयात पर खातेदारों का कब्जा एवं काश्त कभी नहीं रहा है। वर्तमान में आराजी संख्या 175 खातेदारों का कब्जा में पाया गया जिसका पूर्व में धारा-91 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।

वकील प्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की वहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त जमीन ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] संख्या 173/181 रकबा 0.22 हैक्टर लगानी 1.10 पै0 के खाते में मुझ प्रार्थी के [illegible] जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। विपक्षी संख्या [illegible] भूमि के चारो ओर पक्की दीवार बना रही है ग्राम पंचायत के [illegible] मेरे खाते की जमीन को स्कूल की जमीन में मिलाना चाहते [illegible] दीवार बनाने पर अमादा है। इसीलिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिए अस्थाई निषे[illegible] के पाबंद किया जाना आवश्यक है। इस वावत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण [illegible]रिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कर ग्राम दौलपुरा प0ह0 टोलो का लुहारिया में स्थित प्रार्थी के खाते की आराजीयात खाता संख्या 173/181 में अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न स्वयं करे न ही अन्य से कराने का निवेदन किया। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा ग्राम दौलपुरा की खाता संख्या 11 खसरा संख्या 173/181 रकबा 0.22है0 को अपने खाते दर्ज रिकॉर्ड व काबिज होकर काश्त करना बताया है जबकि उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh C
Date: 2024.12.05 16:08:29 IS
Reason: SelfAttested

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संख्या पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त जगह लगभग 20 वर्ष पूर्व स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित हुई थी तथा वर्तमान में स्कूल का खेल मैदान बना हुआ है। मौके पर किसी प्रकार के कृषि कार्य करने के निशानात नही है। जो पडौस प्रार्थी द्वारा बताये गये है उन पडौसो के मध्य प्रार्थी का कोई कब्जा नही है तथा तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मौका स्थिति अनुसार आराजी संख्या 173/181 रकबा 0.22है0 भूमि पर स्कूल का फिल्ड बना हुआ है जो खेल मैदान के उपयोग में ली जाती है। मौके पर चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। मौके पर उपस्थित मौतविरानों द्वारा बताया गया कि उक्त आराजीयात पर खातेदारों का कब्जा एवं काश्त कभी नहीं रहा होना बताया है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 की खाता संख्या 11 खसरा संख्या 173/181 रकबा 0.22 हैक्टर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी हक में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है किन्तु उक्त कृषि आराजीयात की कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है तथा प्रकरण सेटलमेंट से संवंधित होने से मूल वाद के निस्तारण पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 की खाता संख्या 11 खसरा संख्या 173/181 रकबा 0.22 हैक्टर में वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अपने अपने कब्जेकाश्त भूमि पर काविज रहें तथा एक दुसरे की कब्जेकाश्त की आराजीयात पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वयं करे न अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:29 IST
Reason: SelfAttested